निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1943 (श0)

संख्या 27 पटना, बुधवार,

4 अगस्त 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-8
पूरक	---
पूरक-क	9-10

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
8 जुलाई 2021

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2020 सा0प्र0–**6790**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक समस्तीपुर जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1349 दिनांक 11.04.2021 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	01.01.2021 से 31.12. 2021 तक के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव (प्र0)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं
22 जुलाई 2021

सं0 भा०व०से०(आ०)–03/2019 (खण्ड)–1851/प०व०ज०प०––विभागीय अधिसूचना संख्या–111 दिनांक 11.01.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से०, (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(1)(a) के अन्तर्गत निलंबित किया गया है।

दिनांक 28.04.2021 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1476 दिनांक 22.06.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० के निलंबन अवधि को दिनांक 11.03.2021 के प्रभाव से अगले 120 दिनों तक विस्तारित किया गया।

श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० के निलंबन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2021 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार के निलंबन अवधि को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (संशोधित, 2015) के नियम–3(8)(क) के तहत दिनांक 09.07.2021 के प्रभाव से अगले 120 दिनों तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा और उक्त अवधि में श्री कुमार राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

3. श्री कुमार के निलंबन अवधि में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–4 में विहित प्रावधानों के तहत उन्हें अनुमान्य निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। वे जीवन निर्वाह भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त करेगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

22 जुलाई 2021

सं0 भा०व०से०(स्था०)–12/2019 (खण्ड)––1853/प०व०––श्री अरविन्दर सिंह, भा०व०से०, (BH:1995), मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि (वेतन स्तर–15) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना
26 जुलाई 2021

सं0 1/प्रति.05–01/2019– **637**––श्री दीपक आनन्द भा०प्र०से०, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक, पुरातत्व, बिहार के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 तारिक इकबाल, संयुक्त सचिव।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं
20 जुलाई 2021

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)–02–05/2020–2423––श्री अजय शंकर सहाय, तत्कालीन निरीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, भागलपुर को वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर थाना के मड़ईडीह ग्राम में दिनांक 04.06.2017 को की गयी छापेमारी में प्रतिवेदित अनियमितता, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के उल्लंघन के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–81 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी पर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 56 का उल्लंघन कर अवैध तरीके से रूपया जप्त कर हड़पने का आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नलिखित असहमति के बिन्दु का उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक–1815 दिनांक 10.06.2020 द्वारा द्वितीय बचाव–बयान की माँग की गयी।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में छापेमारी दल की भूमिका संदिग्ध पाया गया है। छापेमारी दल द्वारा गलत मंशा से मिली–भगत कर जप्त राशि आपस में बंदरबांट करना चाह रहे थे, किन्तु मामला गंभीर हो जाने के कारण इसे जप्ती सूची में प्रदर्शित किया गया है। इस स्तर पर निरीक्षक मद्यनिषेध की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है। चूँकि छापेमारी दल में श्री सहाय भी शामिल थे। अतएव सामूहिक दायित्व के अंतर्गत दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

4. श्री सहाय ने अपने द्वितीय बचाव–बयान में उल्लिखित किया है कि–"अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली श्री अरविन्द कुमार को उनके मोबाईल पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी की श्री अजीत सिंह एवं श्री जगदीश सिंह, ग्राम–मड़ईडीह, थाना–पातेपुर द्वारा वृहद स्तर पर अवैध शराब का चौर्य व्यापार किया जा रहा है। दिनांक 04.06.2017 को जगदीश सिंह के मकान की तलाशी के क्रम में मकान के पिछले हिस्से में दलान में रखे भूसे के ढेर से एक कार्टून में रॉयल स्टैग व्हिस्की की 375 मि0ली0 की तीन बोतलें बरामद हुयी, इसी तलाशी के क्रम में ही जगदीश सिंह की मकान के पीछे मक्के के खेत से नीले रंग के एक झोले में रखे हुए रूपये बरामद किये गये। जिस खेत से ये रूपये बरामद किये गये वह जगदीश सिंह के घर के पीछे है। इसलिए संदेह किया गया कि यह रूपये उन्हीं के हैं। श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली छापेमारी दल में सबसे वरीय पदाधिकारी थे। उनके निदेशानुसार ही छापेमारी की सभी कार्रवाई पूरी की गयी।

श्री धिरेन्द्र कुमार सिंह के घर के तलाशी के समय कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः इन परिस्थितियों में श्री सिंह की पुत्री एवं उसकी सहेली को जो तलाशी के समय घर में उपस्थित थीं, गवाह बनाया गया।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में छापेमारी दल की भूमिका संदिग्ध पाया गया है। छापेमारी दल द्वारा गलत मंशा से मिली–भगत कर जप्त राशि आपस में बंदरबांट करना चाह रहे थे, किन्तु मामला गंभीर हो जाने के कारण इसे जप्ती सूची में प्रदर्शित किया गया है, के संबंध में उल्लेख किया गया है कि श्री अजीत सिंह एवं श्री जगदीश सिंह के

घर के पीछे मक्के के खेत से बरामद रूपये को श्रीमती शिखा रानी द्वारा जप्त कर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया और दिनांक 05.06.2017 को नियमानुसार हाजीपुर कोषागार में सुरक्षित रखे जाने के लिए भेज दिया गया। इस प्रकार मिली–भगत कर जप्त राशि आपस में बंदरबांट करना तथा मामला गंभीर हो जाने के कारण इसे जप्ती सूची में प्रदर्शित किया जाना तथा सामूहिक दायित्व के अंतर्गत दोष का आरोप बिल्कुल निराधार है।

5. आरोपी पदाधिकारी श्री सहाय, तत्कालीन निरीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली उक्त छापेमारी दल में शामिल थे। अधीक्षक मद्यनिषेध के बाद वे हीं वरीय पदाधिकारी थे। छापेमारी में उनकी अहम भूमिका थी एवं कागजी कार्रवाई अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के द्वारा की गयी थी। इस प्रकरण में श्री सहाय का छापेमारी दल में शामिल होने के कारण सामूहिक दायित्व के अंतर्गत दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। अतएव इनका बचाव–बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

6. समीक्षोपरांत श्री सहाय के विरूद्ध छापेमारी में प्रतिवेदित अनियमितता, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के उल्लंघन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1705 दिनांक 07.06.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक–843/लो0से0आ0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उक्त जाँच प्रतिवेदन के असहमति के बिन्दु, आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय बचाव बयान एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री अजय शंकर सहाय, तत्कालीन निरीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

---

7 जून 2021

सं0 8/आ0 (राज0नि0)–1–47/2019–1707––श्री संजय कुमार ग्वालिया, तत्का0 जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–48/2019 दिनांक 02.12.2019 दर्ज किया गया है। उक्त आरोप में श्री ग्वालिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(क) एवं (ग) के तहत् विभागीय अधिसूचना सं0–4554 दिनांक 12.12.2019 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. श्री ग्वालिया के निलंबन की अवधि 12 माह से अधिक की हो गयी है।

3. श्री ग्वालिया के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

4. श्री ग्वालिया के अभ्यावेदन पर निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के आलोक में निलम्बनादेश निर्गत होने के तिथि के बारह माह पश्चात् दिनांक 13.12.2020 के प्रभाव से पूर्व से निर्गत 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि करते हुए 75 प्रतिशत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

27 जुलाई 2021

सं0 1/डी01–10–01/2017 गृ0आ0–5094––केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आई0टी0बी0पी0) में पुलिस उप–महानिरीक्षक के पद पर पदग्रहण की तिथि से 05 वर्षों की आरंभिक अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री मनु महाराज, भा0पु0से0 (BH:2005), सम्प्रति पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती है।

2. श्री मनु महाराज को निदेश दिया जाता है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आई0टी0बी0पी0) में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–I.21016/01/2021.IPS-III, दिनांक 18.06.2021 द्रष्टव्य।)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

28 जुलाई 2021

सं0 01/एल01–10–13/2013–गृ0आ0–5724——श्री एम0 आर0 नायक, भा0पु0से0 (1998), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.07.2021 से दिनांक 23.07.2021 तक 5 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाश [दिनांक 17/18.07.2021 (शनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix एवं दिनांक 24/25.07.2021 (शनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Suffix सहित] की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नायक के उक्त अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (2003), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को श्री नायक द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहने का घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

---

27 जुलाई 2021

सं0 1/पी1–02/2013 खण्ड–II गृ0आ0–5095——भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री ललन मोहन प्रसाद, भा0पु0से0 (2004)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया	पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा
2.	श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा0पु0से0 (2004)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक–सह–उप–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार, पटना
3.	श्री राजेश त्रिपाठी, भा0पु0से0 (2005)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
4.	श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (2005)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा
5.	श्री प्रणव कुमार प्रवीण, भा0पु0से0 (2007)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा	पुलिस उप–महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

27 जुलाई 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) नालंदा-03/2019-502866--श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबलपुर, नालंदा के विरूद्ध **विद्युत** संबंधी **निश्चय** योजना में प्रगति नही लाना, जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा निदेश के बावजूद प्रखंड परिसर में नवनिर्मित आवासीय क्वार्टर में सभी कर्मी को शिफ्ट नहीं किया जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं लाना, जिलाधिकारी कार्यालय का दूरभाष को एटेंड नहीं करना, उनका यह कृत बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रतिकूल होना एवं विभागीय दिशा-निर्देश के विरूद्ध कार्य करना, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-6596 दिनांक 11.10.2019 के द्वारा प्रतिवेदित है।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण अप्राप्त है ।

जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद के द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है जिससे

लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत लोकहित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबलपुर, नालंदा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढचौक, लखीसराय के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रसाद के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-**राज्यपाल** के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

27 जुलाई 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) बक्सर-04/2019-502867--श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर, बक्सर के विरूद्ध सरकार की महत्वकांक्षी योजना सात निश्चय योजना अन्तर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लाभार्थियों के भुगतान में शिथिलता बरतने के संबंध में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 1468 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सात निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल का जल 14 पंचायतों के 191 वार्डों में 93 प्रबंधन समिति के खाते में राशि अंतरित की गई है, जिसमें 93 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें मात्र 53 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है और मात्र 15 पंचायतों के कम से कम एक वार्ड में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 27.74 प्रतिशत ही कार्य की पूर्णता की गई है, जो काफी न्यूनतम है।

जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा उनके द्वारा धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ठोस साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर, बक्सर के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-**राज्यपाल** के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

27 जुलाई 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) भोजपुर-05/2017-502868--श्री आनंद प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर (भोजपुर) के विरूद्ध श्रीमती बबीता देवी के दिनांक 05.02.2015 को शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष बनने के पश्चात बिना सशक्त स्थायी समिति के गठन कर बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 27(2) एवं 24(2) ख के विपरीत कार्य करने के संबंध में अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-4140 दिनांक 19.06.2017 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री प्रकाश का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री प्रकाश के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 24(2) (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में नगर पंचायत के सशक्त स्थायी पदाधिकारी या जिस अनुमंडल में नगर पंचायत क्षेत्र अवस्थित है, उसका प्रभारी दण्डाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। 02/प0 पर अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के जांच प्रतिवेदन के अंश 'क'

में लिखा गया है कि श्रीमती बबीता देवी द्वारा प्रथम तीन माह के अंदर सशक्त स्थायी समिति का गठन किया गया था । इससे विदित है कि सशक्त स्थायी समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । ।

अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रकाश के द्वारा उनके द्वारा धारित आरोपों के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री आनंद प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर (भोजपुर) के विरूद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रकाश के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार-**राज्यपाल** के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 717—I, Aakash, R/o 401, Basudham Apartment, Kadamkuan, Patna-800003, do hereby solemnly affirm and declare that my old name is Aakash and I have changed my new name to Aakash Sanjoy Kumar vide Affidavit no. 8409 dated 06.04.2021. court of Executive Magistrate, Patna Sadar, Patna.

Aakash.

सं0 718—मैं Rinki Singh पति–संजय कुमार सिंह, लक्ष्मीपुर बखड़ी, पोस्ट–डुमरी, हाजीपुर, वैशाली–844101, वर्तमान पता–शास्त्रीनगर थाना, पटना शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि Rinki Devi, Rinkee Devi, Rinku Devi गलत नाम विभिन्न दस्तावेजों में अंकित हो गया है। अतः अब से सभी कार्य हेतु मैं Rinki Singh के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊँगी। शपथ पत्र सं0 5517 दिनांक 04.03.2021।

Rinki Singh.

No. 719— I, Shabanam Minhaj W/o Minhaj Ahmad Khan, R/o Taj Manzil, FCI Road, P.O. Phulwarisharif, Patna do solemnly declare vide affidavit no. 10777, dated 03.07.2021 that in matriculation certificate my name is Shabanam Bano, but after marriage my name was changed as Shabnam Minhaj. Shabnam Minhaj and Shabnam Bano are the name of same person. Henceforth I will be known as Shabnam Minhaj for all purposes.

Shabanam Minhaj.

No. 720— I, Amisha, D/o Sanjay Kumar Sinha, hereby declare and state that by adding the title 'Sinha' in my name, I have changed my name as 'Amisha Sinha' and with effect from 21.06.2021, I shall be legally known as Amisha Sinha, vide Affidavit No. 24091 dated 21.06.2021.

Amisha.

सं0 738—मैं **दर्शना,** पिता उपेन्द्र कुमार वर्मा, माता–गीता कुमारी, निवास–डॉ0 विजय प्रकाश, एम0आई0जी0/165, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, पटना–20 (बिहार) शपथ पत्र सं0 3428, दिनांक 13.07.2021 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि अब मैं दर्शना वर्मा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी। सभी कार्यो के लिए मान्य होगा।

दर्शना।

No. 738—I, **DARSHANA**, D/o Upendera Kumar Verma, M/o Geeta Kumari, R/o Dr. Vinay Prakash, MIG/165, Lohiyanagar, P.S.-Kankarbagh, Patna-20 (Bihar) declare the vide affidavit no. 3428 dated 13.07.2021 have changed my name to Darshana Verma for all purposes.

DARSHANA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 प्र0–रा0 (आ0)–02/2021––1975/एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2021

आर्थिक अपराध इकाई के जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (मु0) को अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन में संलग्न व्यक्तियों को मदद पहुँचाने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक, खान का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के अनुसार जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

सं0 1/एम02–60–15/2021 गृ0आ0––5102

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

संकल्प

27 जुलाई 2021

चूँकि आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में भोजपुर जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा सम्प्रति बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन की अवधि में श्री राकेश कुमार दूबे का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4(1) के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु 'ज्ञापन', 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट' एवं साक्ष्य/गवाह सूची सहित, अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

सं0 1/एम02–60–15/2021 गृ0आ0––5103

---

27 जुलाई 2021

चूँकि आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में औरंगाबाद जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन की अवधि में श्री सुधीर कुमार पोरिका का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री सुधीर कुमार पोरिका को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4(1) के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री सुधीर कुमार पोरिका के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु 'ज्ञापन', 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट' एवं साक्ष्य/गवाह सूची सहित, अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in